# उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 5 | अंक 6 | 16-31 मार्च 2022 | ₹ 20/-

# हिजाब का विवाद सर्वोच्च न्यायालय में

- कश्मीर फाइल्स फिल्म पर विवाद
- इस्लामोफोबिया के विरोध में अंतरराष्ट्रीय दिवस
- रमजान के दौरान यमन में युद्धविराम
- अरब देशों में चीन द्वारा पैर पसारने का अभियान

परामर्शदाता
**डॉ. कुलदीप रतनू**

सम्पादक
**मनमोहन शर्मा***

सम्पादकीय सहयोग
**शिव कुमार सिंह**

**कार्यालय**
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

**E-mail:**
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

**Website:**
www.ipf.org.in

**मुद्रक–प्रकाशकः** मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

# अनुक्रमणिका

सारांश 03

**राष्ट्रीय**

हिजाब का विवाद सर्वोच्च न्यायालय में 04
उर्दू पत्रकारिता का द्वि-शताब्दी समारोह 07
कश्मीर फाइल्स फिल्म पर विवाद 09
मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा इफ्तार और ईद मिलन का आयोजन 13
समान नागरिक संहिता लागू करने पर विवाद 14

**विश्व**

अफगानिस्तान में कर्मचारियों के लिए दाढ़ी और नमाज अनिवार्य 18
इस्लामोफोबिया के विरोध में अंतरराष्ट्रीय दिवस 19
ईरान और पाकिस्तान द्वारा आपसी व्यापारिक संबंधों में वृद्धि पर जोर 22
पाकिस्तान में ओआईसी का सम्मेलन 22
श्रीलंका में आर्थिक संकट के कारण जनप्रदर्शन 23

**पश्चिम एशिया**

रमजान के दौरान यमन में युद्धविराम की घोषणा 24
बुर्कापोश महिला के प्रवेश को रोकने पर बहरीन में भारतीय रेस्टोरेंट बंद 25
ईरान में पिछले वर्ष 280 लोगों को फांसी 26
इजरायल पर साइबर हमला 26
हूतियों के हमले से सऊदी सप्लाई लाइन ठप 27

**अन्य**

अरब देशों में चीन द्वारा पैर पसारने का अभियान 28
सऊदी अरब में मस्जिदों में चंदा इकट्ठा करने पर प्रतिबंध 29
टीपू सुल्तान से संबंधित उल्लेख पाठ्यपुस्तकों से हटाने का फैसला 29
पैगम्बर पर एक पुस्तक का विमोचन 30
महाराष्ट्र के बजट में मुसलमानों के लिए अलग व्यवस्था की मांग 30

# सारांश

1990 में कश्मीरी पंडितों पर जो भीषण अत्याचार हुए उसका पर्दाफाश फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने अपनी बहुचर्चित फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' के जरिए किया है। जब इस भीषण अत्याचार के कारण लाखों कश्मीरी पंडितों को जान बचाकर तथा अपनी संपत्ति को घाटी में ही छोड़कर अपने ही देश के शरणार्थी शिविरों में शरण लेनी पड़ी तो उस संदर्भ में समाचारपत्रों में चर्चा तो हुई थी, मगर तब मीडिया के संसाधन सीमित थे और निजी चैनलों की शुरुआत नहीं हुई थी। इसलिए देश की अधिकांश जनता इस भीषण सच्चाई से अनभिज्ञ रही। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह कहना सही है कि 32 वर्षों के बाद इस फिल्म के जरिए देश की जनता के सामने वास्तविक सच्चाई पेश की गई है। दु:ख की बात यह है कि कांग्रेस और अन्य छद्म धर्मनिरपेक्ष दलों के नेताओं के साथ-साथ मुस्लिम नेता और उनके संगठन भी इस प्रयास में लगे हुए हैं कि यह घिनौना और दर्दनाक सच जनता के सामने न आने पाए। इसलिए वे यह भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि इस आतंकवाद का शिकार कश्मीर घाटी के मुसलमान भी हुए थे। मगर सवाल यह पैदा होता है कि इस आतंकवाद के दौर के बाद घाटी में रहने वाले कितने मुस्लिम परिवारों को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा? यह ऐसा प्रश्न है जिसका सही उत्तर कोई छद्म धर्मनिरपेक्ष दल या उसका नेता नहीं दे सकता।

कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में छात्राओं के हिजाब पहनने पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसके कारण उत्पन्न विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने से इंकार कर दिया है। उसका यह कहना है कि हिजाब इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इस फैसले से देश के कट्टर मुसलमान संतुष्ट नहीं हैं। यही कारण है कि मुसलमानों द्वारा इस फैसले के खिलाफ देश के अनेक भागों में न सिर्फ उग्र प्रदर्शनों का ही आयोजन किया गया बल्कि आम हड़ताल की गई। बड़ी अजीब बात है कि विश्व के अधिकांश मुस्लिम देशों में आज भी हिजाब और बुर्का पर प्रतिबंध है। सिर्फ सऊदी अरब ही एक मात्र ऐसा देश है जो कि अभी तक पर्दा प्रथा को सख्ती से लागू कर रहा था। मगर मोहम्मद बिन सलमान के सत्ता संभालने के बाद वहां की महिलाओं को भी पदा की कठोर प्रथा से काफी हद तक मुक्ति मिल गई है।

हाल ही में देश के विभिन्न भागों में उर्दू पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने पर समारोह का आयोजन किया गया। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि देश में उर्दू के पाठकों की संख्या दिन-प्रतिदिन कम हो रही है। कट्टरवादी इसके लिए भले ही सरकार को दोषी ठहराएं मगर वास्तविकता यह है कि मुसलमानों की नई पीढ़ी भी परंपरागत उर्दू और फारसी की शिक्षा प्राप्त करने की बजाय आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने में रुचि ले रही है। इन समारोहों में गैर मुसलमान पत्रकारों के योगदान को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है।

तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता में आने के बाद शरई कानूनों को सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए दाढ़ी रखना, पांचों वक्त का नमाज पढ़ना और इस्लामिक लिबास पहनना अनिवार्य करार दे दिया गया है। छात्राओं के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। महिलाओं के नौकरी करने और यात्रा करने पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। इससे पूर्व भी जब कुछ दशक पहले अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आए थे तो उन्होंने इसी तरह से शरिया को सख्ती से लागू किया था। उस समय बामियान के विश्वविख्यात बौद्ध पुरावशेषों को बारूद से उड़ा दिया गया था। काबुल संग्रहालय के हिंदू और बौद्ध पुरावशेषों को चुन-चुनकर नष्ट किया गया था।

राष्ट्रीय

# हिजाब का विवाद सर्वोच्च न्यायालय में

कुछ महीने पूर्व कर्नाटक के कॉलेज परिसर में हिजाबपोश छात्राओं के प्रवेश पर जो विवाद शुरू हुआ था वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह कहकर हिजाब पर लगे प्रतिबंध को रद्द करने से इंकार कर दिया है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। उच्च न्यायालय के इस फैसले को अधिकांश मुस्लिम संस्थानों ने स्वीकार करने से इंकार कर दिया है और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। ये लोग इस मुद्दे पर तुरंत सुनवाई चाहते थे, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया है। देश भर के उर्दू अखबारों में गत कुछ महीने से यह मुद्दा पूरे जोरों से छाया हुआ है।

**हमारा समाज** (16 मार्च) ने अन्य समाचारपत्रों की तरह इसे मुख्य समाचार के रूप में प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है, 'हिजाब पर कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला'। 'स्कूलों में हिजाब की इजाजत नहीं'। 'उच्च न्यायालय की न्यायपीठ ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम का हिस्सा नहीं है।'

**इंकलाब** (16 मार्च) का शीर्षक है, 'हिजाब पर कर्नाटक उच्च न्यायालय का अप्रत्याशित फैसला'। 'देश के मुसलमानों में गहरा असंतोष'। 'याचिकाकर्ताओं का सर्वोच्च न्यायालय जाने का फैसला'। 'हिजाबपोश छात्राओं को परीक्षा कक्ष से बाहर निकाल दिया'। 'सोशल मीडिया पर मुसलमानों की प्रतिक्रिया'। 'हमें तो पहले से पता था कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा'। 'हिजाब पर फैसले को मुस्लिम नेताओं और मुस्लिम संगठनों ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया'।

**इत्तेमाद** (16 मार्च) का शीर्षक है, 'हिजाब पर सभी याचिकाएं उच्च न्यायालय द्वारा रद्द'। 'शिक्षा संस्थानों में पाबंदी बरकरार'।

**औरंगाबाद टाइम्स** (16 मार्च) का शीर्षक है, 'उच्च न्यायालय का फैसला किसी कीमत पर स्वीकार नहीं'। 'फैसले से हताश 35 छात्राओं ने परीक्षाओं का बहिष्कार किया'।

**सालार** (16 मार्च) का शीर्षक है, 'उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती'।

**मुंबई उर्दू न्यूज** (16 मार्च) का शीर्षक है, 'उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ कर्नाटक में पूर्ण हड़ताल'।

**सियासत** (29 मार्च) का शीर्षक है, 'किस धर्म में क्या लाजिमी है क्या नहीं यह अदालतें तय न करें'। 'स्थिति पर विचार करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विशेष अधिवेशन'।

**सालार** (28 मार्च) का शीर्षक है, 'सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने तक हिजाब के साथ छात्राओं को कक्षा में जाने की अनुमति दी जाए'। 'मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अदालतों में कानूनी लड़ाई लड़ेगा'।

**सियासत** (21 मार्च) का शीर्षक है, 'हिजाब पर फैसला देने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जान से मारने की धमकी'। 'सरकार द्वारा वाई श्रेणी की सुरक्षा देने की घोषणा'। 'तमिलनाडु में इस संबंध में दो व्यक्ति गिरफ्तार'।

अधिकांश उर्दू अखबारों ने अपने संपादकीयों में कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय की आलोचना की है।

**हमारा समाज** (16 मार्च) के संपादकीय के अनुसार दारूल उलूम देवबंद के प्रमुख मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने कहा है कि हम कनाटक उच्च न्यायालय के फैसले को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। न्यायालय का यह बयान कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है सरासर गलत है। कुरान में मुस्लिम महिलाओं को पर्दे का आदेश दिया गया है। उन्होंने देश भर के मुस्लिम संगठनों को यह निर्देश दिया कि वे इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दें। उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। किसी भी संगठन को यह अधिकार नहीं है कि वह ऐसा कानून बनाए जो किसी धर्म या परंपरा के खिलाफ हो। जमीयत उलेमा के शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद अफ्फान मंसूरपुरी ने कहा है कि जिन न्यायाधीशों ने यह फैसला दिया है उन्होंने शायद कुरान का अध्ययन नहीं किया है। इसलिए मुसलमान इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला मुगैसी ने कहा है कि यह फैसला असंवैधानिक और मुसलमानों के लोकतांत्रिक तथा धार्मिक अधिकारों पर हमला है। इसलिए हम सर्वोच्च न्यायालय में इसे चुनौती देंगे।

**सियासत** (18 मार्च) के संपादकीय के अनुसार ऑल इंडिया पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉ. अयूब ने इस फैसले को मुसलमानों के धार्मिक और संवैधानिक अधिकारों पर हमले की संज्ञा दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आरएसएस हिजाब के मुद्दे को उछालकर मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा से दूर रखना चाहता है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इसे निराशाजनक फैसला बताया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अदालतों और सरकार को मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि आयरलैंड में जब हिजाब और सिख पगड़ी को अनुमति देने का फैसला किया गया तो

मोदी सरकार ने इसका स्वागत किया था। उन्हांने भाजपा पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया।

**इत्तेमाद** (16 मार्च) के अनुसार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के छात्र विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि उच्च न्यायालय भाजपा के एजेंडे को लागू कर रहा है। जबकि कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कुछ लोग छात्राओं को गुमराह कर रहे हैं। हम उन्हें समझाने-बुझाने का प्रयास करेंगे। शिक्षा मंत्री बी.सी. नागेश ने कहा कि परीक्षाओं में लड़कियों को हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

**मुंबई उर्दू न्यूज** (25 मार्च) के अनुसार इस फैसले के खिलाफ जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए भाजपा के खिलाफ नारे लगाए हैं और कहा है कि हम उच्च न्यायालय के इस फैसले को किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे।

**मुंबई उर्दू न्यूज** (24 मार्च) के अनुसार महाराष्ट्र के विरार स्थित एक लॉ कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ. बात्तुल हमीद को हिजाब पहनने के कारण अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा है। उनका संबंध दाऊदी बोहरा संप्रदाय से है। उन्होंने कहा है कि हिजाब पहनने के कारण उन्हें परेशान किया जा रहा था इसलिए उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा है।

**हमारा समाज** (16 मार्च) न अपने संपादकीय में यह आरोप लगाया है कि भाजपा ने पांच राज्यों के विधान सभा चुनाव को जीतने के लिए हिजाब पर प्रतिबंध का सहारा लिया है। समाचारपत्र ने कहा है कि सरकार जानबूझकर मुसलमानों को इस्लाम से दूर करने का प्रयास कर रही है।

**इत्तेमाद** (16 मार्च) ने अपने संपादकीय में इस फैसले की निंदा करते हुए कहा है कि इस फैसले से मुस्लिम छात्राओं को शिक्षा प्राप्त करना छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि वे हिजाब को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। अदालत ने इस पहलू पर विचार नहीं किया कि उसके इस फैसले से कर्नाटक की हजारों मुस्लिम छात्राओं का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। देश की अदालतों को इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि वे मुसलमानों के शरई मामलों में हस्तक्षेप करें। मुसलमानों को एक बात समझ लेनी चाहिए कि उन्हें अदालतों से इंसाफ मिलने की संभावना नहीं है। उन्हें इस संदर्भ में शाहबानो केस से लेकर बाबरी मस्जिद केस और हिजाब के मामले में आए फैसलों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और मुसलमानों को एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए।

**सालार** (17 मार्च) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अदालतों को मुसलमानों की भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। इसका उदाहरण शाहबानो केस, बाबरी मस्जिद केस और तीन तलाक के सिलसिले में आए फैसले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। धार्मिक और शरई मामलों में अदालतों से मुसलमानों को इंसाफ की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मुस्लिम संगठनों और मुस्लिम विद्वानों को यह बात याद रखनी चाहिए कि जब भी मुसलमानों के शरई और मजहबी मामले अदालतों में गए उन्हें हमेशा मायूसी हुई।

**अवधनामा** (17 मार्च) ने अपने संपादकीय में उच्च न्यायालय के फैसले की आलोचना की है और कहा है कि कुरान में अल्लाह ने मुसलमान महिलाओं के पर्दे को अनिवार्य घोषित किया है। मगर मुसलमानों को शांति से काम लेना चाहिए और ऐसे हालात पैदा नहीं करना चाहिए जिससे शरारती तत्व दंगा फसाद को हवा दे सकें।

**मुंबई उद् न्यूज** (16 मार्च) ने अपने संपादकीय में इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि मुसलमानों को सर्वोच्च न्यायालय से भी इंसाफ की आशा नहीं रखनी चाहिए।

**इंकलाब** ने भी 16 मार्च के अपने संपादकीय में इस फैसले को निराशाजनक करार दिया है।

# उर्दू पत्रकारिता का द्वि–शताब्दी समारोह

उर्दू पत्रकारिता का द्वि-शताब्दी समारोह देश के विभिन्न राज्यों में मनाया गया। इस समारोह को मनाने का सिलसिला एक वर्ष पूर्व ही शुरू हो गया था। कहा जाता है कि उर्दू क पहला अखबार 'जाम-ए-जहांनमा' का प्रकाशन 1822 में कोलकाता में शुरू हुआ था।

**इंकलाब** (31 मार्च) के अनुसार 30 मार्च, 2022 को दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में उर्दू पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता करते हुए पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा कि उर्दू सिर्फ भारत या पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय भाषा है। इस अवसर पर उर्दू पत्रकारिता के दो सौ वर्ष के इतिहास पर एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई और कई पत्रकारों को पुरस्कार भी दिए गए। प्रो. अख्तरुल वासे ने अपने उद्घाटन भाषण में उर्दू पत्रकारिता के इतिहास के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों का साथ देने के कारण 'दिल्ली उर्दू अखबार' के संपादक मौलवी मोहम्मद बाकिर को अंग्रेजों ने दिल्ली विजय के बाद तोप से बांधकर उड़ा दिया था। उन्होंने कहा कि खास बात यह है कि उर्दू का पहला अखबार कोलकाता से किसी मुसलमान ने नहीं बल्कि पंडित हरिहर दत्ता ने प्रकाशित करना शुरू किया था। इससे पूर्व 1794 में टीपू सुल्तान ने भी उर्दू का एक अखबार निकाला था, जिसका नाम 'फौजी अखबार' था। इस समाचारपत्र के प्रकाशन के लिए उन्होंने एक विशेष छापाखाना भी अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टण में लगवाया था। आजाद ने कहा कि उर्दू अगर एक भाषा के तौर पर सिकुड़ रही है तो उसके लिए हम भी दोषी हैं।

पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा कि हर जनगणना में उर्दू बोलने वालों की संख्या कम होती जा रही है। उन्होंने इसके लिए विभिन्न सरकारों की नीतियों को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि उर्दू की शिक्षा के लिए प्रारंभ से ही प्रयास होने चाहिए। देश भर के उर्दू के सभी अखबारों ने इस संबंध में विशेष पृष्ठ प्रकाशित

किए हैं, जिनमें उर्दू पत्रकारिता के विकास क विभिन्न चरणों की रूप रेखा पेश की गई। इस अवसर पर कांग्रेस के नेता और पूर्व सांसद मीम अफजल ने कहा कि देश के विभाजन के समय 540 उर्दू अखबार प्रकाशित होते थे। इसमें से 70 अखबार पाकिस्तान में थे। जबकि 470 अखबार भारत में रह गए। उन्होंने कहा कि उर्दू भाषा को मुसलमानों के साथ जोड़ने के अभियान से उर्दू को काफी धक्का लगा है।

**इंकलाब** (28 मार्च) के अनुसार दिल्ली के प्रेस क्लब में भी उर्दू पत्रकारिता पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पत्रकार उमाकांत लखेड़ा ने की। इसमें मुख्य भाषण प्रेस क्लब के महासचिव विनय कुमार ने दिया। इस अवसर पर पत्रकार शाहिद सिद्दीकी ने कहा कि हिंदुस्तान का स्वतंत्रता संग्राम उर्दू द्वारा लड़ा गया था और उर्दू ने ही भारत को एकजुट करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। उर्दू के अनेक पत्रकारों को सरकार ने प्रताड़ित किया। मौलाना आजाद के उर्दू अखबार अल-हिलाल और अल-बालाघ ने अंग्रेजां के अत्याचारों को उजागर किया। इस पर इन दोनों अखबारों को जब्त कर लिया गया।

अनेक वक्ताओं ने अपने भाषणों में यह स्वीकार किया कि उर्दू के पाठकों की संख्या तेजी से कम हो रही ह और हाल ही में उर्दू के अखबार भारी संख्या में बंद हुए हैं। उन्होंने इसक लिए सरकार की उर्दू के प्रति उपेक्षापूर्ण नीतियों को जिम्मेवार बताया।

**इंकलाब** (28 मार्च) के अनुसार पटना में भी उर्दू पत्रकारिता के द्वि-शताब्दी समारोह के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन उर्दू मीडिया फोरम की ओर से किया गया। इस अवसर पर भाषण देते हुए बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि भारत के नवनिर्माण में उर्दू अखबारों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। उर्दू अखबारों का सीधा संबंध समाज से रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि आज के समय में उर्दू अखबार निकालना बहुत कठिन कार्य है। क्योंकि उर्दू के पाठकों की संख्या तेजी से कम हो रही है।

**रोजनामा सहारा** (27 मार्च) के अनुसार प्रयागराज में भी उर्दू की वर्तमान स्थिति पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता करते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अरबी-फारसी विभाग के अध्यक्ष प्रो. सालह रशीद ने उर्दू पत्रकारिता के विभिन्न आयामों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला।

**टिप्पणी:** यह स्थिति वास्तव में खेदजनक है कि उर्दू और उर्दू पत्रकारिता पर कुछ मुट्ठी भर मठाधीशों का कब्जा हो गया है। वे उर्दू का इस्तेमाल अपनी दुकान चमकाने के लिए गत कई दशकों से करते आ रहे हैं। इस लक्ष्य से उन्होंने उर्दू को एक विशेष संप्रदाय और धर्म से जोड़ दिया है। इससे निश्चित रूप से उर्दू की लोकप्रियता को गहरा धक्का लगा है। उर्दू पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश भर में जो भी समारोह हुए हैं उन पर एक विशेष धर्म के अनुयायियों का ही कब्जा बना रहा। हालांकि वास्तविकता यह है कि उर्दू को लोकप्रिय बनाने में भारत के सभी संप्रदायों और धर्मों का योगदान रहा है। बड़ी अजीब बात है कि उर्दू पत्रकारिता क 200 वर्ष पूरे होने के समारोह में हिंदुओं, सिखों आर ईसाईयों के योगदान को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है। दिल्ली और पंजाब में उर्दू पत्रकारिता में हिंदुओं का विशेष योगदान रहा है। मगर इन समारोहों में 'पैसा अखबार' के संपादक बांके दयाल, 'स्वराज' अखबार के ज्ञानी पिंडी दास, 'वंदे मातरम्' के संपादक लाला लाजपत राय, 'प्रताप' के संस्थापक महाशय कृष्ण, 'मिलाप' के संस्थापक कुशल चंद खुरसंद, 'वीर भारत' के संपादक प्रीतम जियाई, 'रोजनामा प्रभात' के संपादक नानक चंद नाज, 'रियासत' के संपादक दिवान सिंह मफतून,

'रहनुमा-ए-तालिम' के संस्थापक सरदार जगत सिंह, 'संसार' अखबार के संपादक गोपीनाथ अमन, 'तेज' अखबार के संपादक लाला देश बंधु गुप्ता और 'सवेरा' अखबार के संपादक जमना दास अख्तर के योगदानों की कहीं चर्चा ही नहीं की गई है। क्या उर्दू के इन मठाधीशों की नजरों में इन उर्दू पत्रकारों का उर्दू पत्रकारिता में कोई योगदान नहीं था?

## कश्मीर फाइल्स फिल्म पर विवाद

फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' इन दिनों सुर्खियों में है। भाजपा एवं उसके समर्थक संगठनों का कहना है कि इस फिल्म में 1990 में आतंकवादियों द्वारा कश्मीरी पंडितों को उत्पीड़ित करने और उनकी निर्मम हत्या करने के मुद्दे को पहली बार देश की जनता के सामने पेश किया गया है। जबकि छद्म धर्मनिरपेक्ष दलों और मुस्लिम संगठनों का दावा है कि संघ परिवार और सरकार इस मुद्दे को चुनावों में बहुसंख्यक समुदाय के वोट बटोरने के लिए इस्तेमाल कर रही है।

**इंकलाब** (24 मार्च) के अनुसार राज्य सभा में बहस का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरोप लगाया कि कश्मीरी पंडितों के खिलाफ भीषण अत्याचारों का दौर तब शुरू हुआ जब 29 जनवरी 1989 में कांग्रेस के समर्थन से नेशनल कांफ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि जगमोहन को 1990 में राज्य का राज्यपाल बनाया गया था। उन्होंने दावा किया कि अनुच्छेद 370 के समाप्त किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास क नए युग को शुरुआत हुई है।

**इंकलाब** (29 मार्च) के अनुसार बिहार विधान सभा में सरकार द्वारा विधायकों को 'द कश्मीर फाइल्स' फिल्म देखने के लिए मुफ्त टिकट बांटने को लेकर भारी हंगामा हुआ, जिसके कारण सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा।

**इंकलाब** (24 मार्च) के अनुसार जम्मू कश्मीर पीपुल्स कांफ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने दावा किया है कि यह फिल्म कल्पनाओं पर आधारित है और इसका तथ्यों से कोई लेना-देना नहीं है। कश्मीरी पंडितों की तुलना में कश्मीरी मुसलमानों को 50 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल इस मुद्दे का

राजनीतिक लाभ उठाने के लिए विवक अग्निहोत्री को राज्य सभा में मनोनीत करने का ख्वाब दिखा रही है। जैसा इसके पूर्व उन्होंने अनुपम खेर का भी राजनीतिक इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि कश्मीरी पंडितों के साथ ज्यादती की गई है।

**इंकलाब** (21 मार्च) के अनुसार अनेक विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि भाजपा कश्मीरी पंडितों के जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए उन पर नमक छिड़क रही है और इस फिल्म की आड़ लेकर देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की भावना को भड़काया जा रहा है। कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने कहा कि प्रचारक बांटो और राज करो की भावना का लाभ उठा रहे हैं। कश्मीर फाइल्स से नफरत की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। इसमें दी गई सारी जानकारी गलत है और उसमें तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है। कांग्रेसी सांसद शशि थरूर ने कहा कि इसमें शक नहीं कि कश्मीरी पंडितों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है मगर कश्मीरी मुसलमानों को गलत ढंग से पेश करने से कश्मीरी पंडितों को कोई लाभ नहीं होगा। इससे नफरत बढ़ेगी। सभी कश्मीरियों को इंसाफ की जरूरत है। आज जख्मों पर मरहम लगाने की आवश्यकता है। कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके लिए पाकिस्तान और आतंकवादी दोषी हैं जिससे कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुसलमान और डोगरा प्रभावित हुए हैं। राजनीतिक पार्टियां धर्म के नाम पर लोगों को उकसा रही हैं।

समाजवादी पार्टी के सांसद डॉ. एस.टी. हसन ने मांग की कि इस फिल्म पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। क्योंकि इससे देश का माहौल खराब होगा। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम पर फिल्म बनाई जा सकती है तो गुजरात दंगों, मुरादाबाद, भिवंडी और भागलपुर के मुस्लिम विरोधी दंगों पर फिल्म क्यों नहीं बनाई जा सकती? जरूरत इस बात की है कि देश में सांप्रदायिक सद्भावना को प्रोत्साहन दिया जाए और कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने जानबूझकर इस फिल्म को टैक्स फ्री घोषित किया है। क्योंकि वह हिंदुओं और मुसमलानों को आपस में लड़ाना चाहती है।

**रोजनामा सहारा** (25 मार्च) ने अपने संपादकीय में 'द कश्मीर फाइल्स' को प्रोपगंडा फिल्म करार दिया है और कहा है कि इस फिल्म का एक मात्र लक्ष्य त्रासदी को उजागर करके धन बटोरना है। यह हिंदुस्तानी समाज को नफरत, कत्ल और हैवानियत के माहौल में झांकने की एक साजिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री और तमाम भाजपा शासित सरकारें एक विशेष संप्रदाय के खिलाफ घृणा का वातावरण बनाने के अभियान में जुट गई हैं। यह संविधान का खुला मजाक है। जिस तरह से पुलिस और प्रशासन के लोगों को भाजपा शासित राज्यों में इस फिल्म को देखने के लिए पास और छुट्टियां तक दी गई हैं उससे साफ है कि सरकार इस देश में कैसा माहौल बनाना चाहती है। क्या गुजरात क सच को

छिपाने के लिए कश्मीर फाइल्स का सहारा नहीं लिया जा रहा है?

**इंकलाब** (18 मार्च) के अनुसार हालांकि जम्मू कश्मीर में सिनेमाघर बंद होने के कारण अभी तक इस फिल्म का प्रदर्शन नहीं हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ी हुई है। फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री का दावा है कि इस फिल्म में 1990 की घटनाओं को ज्यों का त्यों पेश किया गया है, जिसका सामना उस समय कश्मीरी पंडितों को करना पड़ा था। इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की घटनाओं को ईमानदारी से पेश किया गया है। मानवाधिकार कार्यकर्ता रियाज खादर ने कहा है कि कश्मीर घाटी में आतंकवाद की शुरुआत में मारा जाने वाला पहला व्यक्ति एक कश्मोरी मुसलमान था जिसका नाम युसूफ हलवाई था और वह नेशनल कांफ्रेंस का कार्यकर्ता था। इस आतंकवाद में सैकड़ों मुसलमान मारे गए मगर उनका इस फिल्म में कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह फिल्म लोगों की भावनाओं को भड़काकर पैसा कमाने और एक विशेष राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बनाई गई है।

**अवधनामा** (17 मार्च) ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक वक्तव्य प्रकाशित किया है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि लखीमपुर खीरी कांड के बारे में भी एक फिल्म बननी चाहिए ताकि लोगों को वास्तविकता का पता लग सके।

**हमारा समाज** (18 मार्च) में ए. रहमान का एक लेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आरएसएस के बुनियादी एजेंडे को लागू करने के लिए भाजपा की सरकार मुस्लिम विरोधी प्रचार का सहारा ले रही है। यह फिल्म इसी अभियान का हिस्सा है।

**मुंबई उर्दू न्यूज** (22 मार्च) के संपादकीय में कहा गया है कि यह फिल्म धन बटोरने के लिए बनाई गई है। हालांकि राजनीतिज्ञ इस फिल्म का इस्तेमाल वोटों को बटोरने के लिए कर रहे हैं। मगर इससे कश्मीरी पंडितों का कोई भला नहीं होगा। हैरानी की बात यह है कि इस फिल्म के प्रचार की कमान स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने संभाली हुई है और उन्होंने दावा किया कि कश्मीर के बारे में वास्तविक इतिहास 32 वर्षों के बाद जनता के सामने आया है। इस फिल्म को भाजपा शासित सरकारों ने टैक्स फ्री कर दिया है। इतना ही नहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने यह आदेश जारी किया है कि सभी सरकारी कर्मचारी छुट्टी लेकर कश्मीर फाइल्स को देखें। जबकि शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने पार्टी के मुखपत्र सामना में कहा है कि कश्मीर फाइल्स आने वाले चुनाव का एजेंडा है इसलिए प्रधानमंत्री बड़े जोशो-खरोश के साथ इस फिल्म के प्रचारक बने हुए हैं। राउत का कहना है कि यह शर्म की बात है कि आज भी कश्मीरी पंडित अपने ही देश में बने शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। समाचारपत्र ने इस बात का समर्थन किया है कि इस फिल्म से होने वाली सारी आय कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास पर खर्च हानी चाहिए।

**मुंबई उर्दू न्यूज** (21 मार्च) के मुख्य पृष्ठ पर एक समाचार प्रकाशित किया गया है, जिसका शीर्षक है, 'कश्मीर फाइल्स मुसलमानों के जख्मों पर चोट का सिलसिला जारी'। 'कश्मीर फाइल्स के निर्देशक सहित पूरी टीम की योगी और मोदी से मुलाकात'। समाचारपत्र ने यह आरोप लगाया है कि इस फिल्म में एकपक्षीय तस्वीर पेश की गई है, जिसमें मुसलमानों को इस कत्लेआम का दोषी ठहराया गया है और इससे हिंदुओं आर मुसलमानों के बीच मतभेद और भी गहरे हो गए हैं।

**मुंबई उर्दू न्यूज** ने ही 17 मार्च के अंक में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख बदरूद्दीन अजमल के उस बयान को प्रकाशित किया है, जिसमें उन्होंने यह मांग की है कि इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। क्योंकि इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा।

**सियासत** (27 मार्च) ने भाजपा पर यह आरोप लगाया है कि वह वोट बटोरने के लिए कश्मीरी पंडितों के नाम पर राजनीति कर रही है और समाज में सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रही है। देश की जनता को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जा रहा है। समाचारपत्र ने यह दावा किया है कि जिस समय कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था उस समय केंद्र में भाजपा समर्थित वोपी सिंह की सरकार थी। इसलिए कश्मीरी पंडितों के उत्पीड़न के लिए भाजपा ही जिम्मेवार है।

**इंकलाब** (20 मार्च) के अनुसार कश्मीर फाइल्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग एक मुस्लिम संगठन एसडीपीआई ने भी की है। इसकी ओर से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन भी किया गया है। इसी अंक में उमर अब्दुल्ला का एक वक्तव्य भी प्रकाशित किया गया है, जिसमें कश्मीर फाइल्स को झूठ का पुलिंदा करार दिया गया है और यह आरोप लगाया गया है कि कश्मीरी पंडितों के पलायन को भाजपा राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है और सिनेमाघरों में शरारती तत्व मुसलमानों के खिलाफ उत्तेजक नारे लगाकर देश का वातावरण खराब कर रहे हैं।

**रोजनामा सहारा** (25 मार्च) ने कश्मीर फाइल्स के खिलाफ एक विशेष सप्लीमेंट प्रकाशित किया है, जिसमें इस फिल्म के खिलाफ छह लेख प्रकाशित किए गए हैं।

**रोजनामा सहारा** (26 मार्च) ने कहा है कि इस फिल्म को देखकर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में कुछ लोग इतने भावुक हो गए कि उन्होंने सिनेमाघर से बाहर आते ही एक मुसलमान की दुकान पर हमला कर दिया। मध्य प्रदेश के एक आईएएस अधिकारी नियाज खान भी मुश्किल में पड़ गए हैं। उन्होंने मांग की थी कि कश्मीर फाइल्स की तरह देश के विभिन्न भागों में मुसलमानों के होने वाले कत्लेआम पर फिल्में बनाई जाएं।

**इंकलाब** ने 27 मार्च के अंक में कश्मीर फाइल्स फिल्म पर एक विशेष पृष्ठ प्रकाशित किया है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इस मांग का समर्थन किया गया है कि इस फिल्म को यूट्यूब पर डाल दिया जाए ताकि वह पूरी तरह से फ्री हो जाए और एक दिन में ही लोग उसे देख लें। विधान सभा में उन्होंने भाजपा नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोग कश्मीरी पंडितों के नाम पर करोड़ों कमा रहे हैं और तुम सिर्फ पोस्टर लगाने का ही काम कर रहे हो। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में सिर्फ झूठ को परोसा गया है इसलिए मैं इस फिल्म का भागीदार नहीं बन सकता। समाचारपत्र ने यह दावा किया है कि देश में एक विशेष धर्म के खिलाफ माहौल बनाने के लिए सत्तारूढ़ दल इस फिल्म के प्रचार में लगा हुआ है। ■

# मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा इफ्तार और ईद मिलन का आयोजन

**इंकलाब** (28 मार्च) के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को यह निर्देश दिया है कि वे अधिक से अधिक लोगों से संपर्क करके इस संगठन से जोड़ें। मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार ने मंच के सभी प्रकोष्ठों के संयोजकों के साथ एक बैठक में कहा कि मंच के साथ कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में जोड़ने और देश और समाज में एकता, सद्भावना और भाईचारे की भावना को मजबूत बनाने के लिए इस वर्ष रमजान के पवित्र महीने में देश के कोने-कोने में रोजा इफ्तार और ईद मिलन का आयोजन करना चाहिए, जिसमें संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाए। ईद मिलन और रोजा इफ्तार के इन कार्यक्रमों का लक्ष्य समाज के सभी वर्गों और बिरादरियों को आपस में जोड़ना है ताकि रमजान के पवित्र महीने के दौरान देश के करोड़ों निवासियों में सद्भावना और भाईचारे के वातावरण का निर्माण हो सके। उन्होंने कहा कि इफ्तार के कार्यक्रम में भाग लेने वाले हर व्यक्ति के हाथ में तिरंगा झंडा होगा, जिससे यह संदेश मिलेगा कि जिस तरह से मुसलमानों के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने मुसलमानों को ईमान, प्रेम और शांति का संदेश दिया है उसका प्रचार एवं प्रसार समाज के सभी वर्गों में हो सके। रोजा इफ्तार के आयोजन के बाद ईद मिलन के कार्यक्रमों का भी राष्ट्रव्यापी स्तर पर आयोजन किया जाएगा, जिसमें संघ के कार्यकर्ता बढ़-चढ़कर भाग लेंगे।

**मुंबई उर्दू न्यूज** (7 मार्च) के अनुसार आरएसएस से संबंधित संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मुस्लिम महिलाओं को मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज की अनुमति दिलाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चला रहा है। इसके अतिरिक्त मुस्लिम मंच ने यह भी तय किया है कि मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र तय करने के लिए देशव्यापी अभियान छेड़ा जाए। गौरतलब है कि इस्लामी शरा के अनुसार मुस्लिम लड़की की निकाह के लिए कोई न्यूनतम उम्र निर्धारित नहीं है। शरा के अनुसार मुस्लिम लड़की का निकाह किसी भी उम्र

में हो सकता है। मगर उसे अपने पति के साथ संबंध बनाने के लिए उसका रजस्वला होना सही माना जाता है।

गौरतलब है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संस्थापक और आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार के नेतृत्व में मंच के कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं को भाजपा से जोड़ने के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाया था। मुसलमानों के साथ किए गए संपक के दौरान मुस्लिम मंच के कार्यकर्ताओं ने यह महसूस किया था कि देश का मुस्लिम समाज रूढ़ीवादी परंपराओं से छुटकारा पाना चाहता है। इसकी शुरुआत तीन तलाक से छुटकारा पाने के लिए एक कानून बनाने से हुई थी। अब मंच मुस्लिम महिलाओं को मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज में भागीदार बनाने के लिए सारे देश में जागरूकता अभियान चला रहा है। अभी तक इस्लामिक परंपराओं के अनुसार मुस्लिम महिलाएं पुरुषों के साथ नमाज में भागीदार नहीं बन सकतीं। उनके लिए अलग नमाज की व्यवस्था की जाती है।

**इंकलाब** (22 मार्च) के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महिला प्रकोष्ठ राष्ट्रीय सेविका समिति की जयपुर में होने वाली बैठक में इस बात पर विचार किया जाएगा कि मुस्लिम लड़कियों के निकाह की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के लिए अभियान छेड़ा जाए।

समाचारपत्र के अनुसार कुछ महीने पूर्व केंद्र सरकार ने शादी की न्यूनतम उम्र के बारे में एक संशोधित बिल संसद में पेश किया था, जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष की जाए। विपक्षी सांसदों के दबाव पर इसे संसद की सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया था। राष्ट्रीय सेविका समिति की प्रचार प्रमुख सुनीला सोहवानी का कहना है कि इस संबंध में लड़कियां स्वयं ही तय कर सकती हैं। हम इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते कि निकाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो या 21 वर्ष।

**हमारा समाज** (1 मार्च) के अनुसार गत दिसंबर महीने में संसद के अधिवेशन में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का एक प्रस्ताव सदन में पेश किया था, जिसे विचार विमर्श के लिए सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया है। अब आरएसएस ने यह फैसला किया है कि इस संदर्भ में जनसंपर्क अभियान चलाया जाए और ये आंकड़े पेश किए जाएं कि समाज के अधिकांश वर्ग विवाह की उम्र को बढ़ाने के पक्ष में हैं। राष्ट्रीय सेविका समिति अल्पायु में विवाह का विरोधी है। इसकी प्रचार प्रमुख सुनीला सोहवानी ने कहा कि लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने के बाद ही विवाह करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में हम राष्ट्रव्यापी स्तर पर जनता से संपर्क स्थापित कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता विनय सहस्रबुद्धे ने इस संदर्भ में जनता से राय मांगी है।

## समान नागरिक संहिता लागू करने पर विवाद

**इंकलाब** (17 मार्च) के अनुसार उत्तराखंड में हाल के विधान सभा चुनाव में विजय प्राप्त करने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के चुनावी घोषणापत्र में समान नागरिक संहिता को लागू करने का वायदा किया गया था। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक प्रस्ताव भी पारित किया है।

**सालार** (24 मार्च) के अनुसार पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता की

तैयारी के लिए सरकार एक कमेटी बनाएगी, जिसमें कानून के जानकार और बुद्धिजीवी शामिल होंगे। हम इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून चाहते हैं जो कि सभी पर लागू हो। इसमें शादी, तलाक, उत्तराधिकार और पैतृक संपत्ति का बंटवारा शामिल है।

**इंकलाब** (27 मार्च) के अनुसार उत्तराखंड के बाद अब बिहार में भी समान नागरिक संहिता को लागू करने के स्वर मुखर हो गए हैं। भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा है कि समान नागरिक संहिता को लागू करने का निर्देश संविधान के मार्गदर्शक सिद्धांतों में है। इसे लागू करना सबके लिए हितकर है। उन्होंने मांग की कि बिहार में भी समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल को तुरंत पास करना चाहिए और इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने चाहिए। भाजपा की इस मांग का विरोध राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने किया है और इसे देश को खंडित करने की मांग की संज्ञा दी है। विपक्ष का कहना है कि यह आरएसएस का एजेंडा है और यह समाज को विभाजित करने वाला है। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ का कहना है कि सिर्फ केंद्र सरकार ही समान नागरिक संहिता को लागू कर सकती है। राज्य सरकारें जानबूझकर यह विवाद उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने नितीश कुमार से मांग की है कि वे इस संबंध में अपनी स्थिति को स्पष्ट करें।

जेडीयू के वरिष्ठ नेता डॉ. खालिद अनवर ने कहा है कि कुछ लोग समाज में फिर समान नागरिक संहिता को लागू करने की मांग करने लगे हैं। जब यह मामला उठता है तो सांप्रदायिक ताकतें इसे हिंदू मुस्लिम का प्रश्न पैदा करके इसे समाज में नफरत का वातावरण पैदा करने का प्रयास करती हैं। उन्होंने कहा कि अजीब बात है कि समान नागरिक संहिता को लागू करने की चर्चा बहुत वर्षों से हो रही है मगर सरकार आज तक इसका कोई प्रारूप पेश नहीं कर सकी है। इस देश में सैकड़ों पर्सनल लॉ हैं। आदिवासियों और ईसाईयों के भी अपने पर्सनल लॉ हं। हिंदुओं में भी कई तरह की परंपराएं हैं। इस देश में अनेक तरह की संस्कृतियां हैं। अगर इसे लागू किया गया तो इससे अनेक समस्याएं पैदा होंगी। भारत की जनता इस बात को पसंद नहीं करती कि उनके धर्म और संस्कृति में किसी तरह का हस्तक्षेप हो। बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार पहले ही इस प्रस्ताव को ठुकरा चुके हैं। हमारा यह स्पष्ट मत है कि किसी भी जात-पात, धर्म या पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप करना भारतीय संविधान के खिलाफ है। संविधान की धारा 5 के तहत विभिन्न आदिवासियों को अपने-अपने पर्सनल लॉ मानने की स्वीकृति मिली हुई है। अगर कोई किसी के धर्म, आस्था और संस्कृति में हस्तक्षेप करने का प्रयास करेगा तो इसकी बहुत सख्त प्रतिक्रिया होगी। अगर सरकार समान नागरिक संहिता के बारे में गंभीर है तो पहले उसे इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए।

**मुंबई उर्दू न्यूज** (28 मार्च) के अनुसार भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरिश साल्वे ने कहा है कि समान नागरिक संहिता की बजाय सरकार को जनता को शीघ्र-अतिशीघ्र न्याय दिलाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। क्योंकि एक-एक विवाद को न्यायालयों को सुलझाने में कई-कई पीढ़ियां लग जाती हैं। अदालतों में मुकदमों के बढ़ते हुए अंबार को कम करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना बेहद जरूरी है।

**इंकलाब** (28 मार्च) के अनुसार लखनऊ में आयोजित मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में समान नागरिक संहिता को लागू करने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों में इस मुद्दे पर वैचारिक मतभेद थे और एक वरिष्ठ सदस्य मौलाना सज्जाद नोमानी ने इस संबंध में एक पत्र भी लिखा था। खास बात यह है कि लखनऊ के दारूल उलूम नदवा में जहां यह बैठक आयोजित की गई थी उसमें किसी भी मीडियाकर्मी को भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई और न ही इस संदर्भ में किसी संवाददाता सम्मेलन का ही आयोजन किया गया। बाद में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि समान नागरिक संहिता की समस्या सिर्फ मुसलमानों की नहीं है बल्कि अन्य जातियां भी समान नागरिक संहिता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इस बैठक की अध्यक्षता ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी ने की। इस बैठक में यह फैसला किया गया कि बोर्ड ने समान नागरिक संहिता के बारे में विभिन्न आयामों पर विचार करने के लिए जो उपसमितियां बनाई थीं उनको और अधिक सक्रिय किए जाएं और सोशल मीडिया पर बोर्ड का नजरिया पेश करने के लिए एक ही अकाउंट रखा जाए ताकि इस संबंध में कोई विवाद उत्पन्न न हो। इस बैठक में मौलाना अरशद मदनी, बोर्ड के महामंत्री खालिद सफुल्लाह रहमानी, मौलाना मोहम्मद सुफियान कासमी, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, सैयद सआदत हसैन रहमानी, मौलाना मुस्तफा रिफाई, मौलाना उमरैन रहमानी, मौलाना अनीसुल रहमान, डॉ. कासिम रसूल इल्यिास, कमाल फारूकी, मसूद अहमद, डॉ. असमा जेहरा और निघत परवीन ने भी भाग लिया।

**इत्तेमाद** (24 मार्च) ने अपने संपादकीय में इस बात पर चिंता प्रकट की है कि राम मंदिर, तीन तलाक और लव जिहाद के बाद अब इस देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने की चर्चा तेज हो गई है। संविधान की धारा 25 में प्रत्येक नागरिक को इस बात की आजादी दी गई है कि वह बिना किसी रोक-टोक के किसी भी धर्म और उससे संबंधित रस्मा-रिवाज का अनुसरण कर सकता है। देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने का शोशा इससे पहले भी कई बार छेड़ा जा चुका है। यह देशहित में नहीं है। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुनः इस विवाद को हवा दी है। समान नागरिक संहिता

की बात करने वालों को यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि आदिवासी, दलित, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और पूर्वोत्तर राज्यों के लोग इसका डटकर विरोध करेंगे। यह मामला सिर्फ मुसलमानों से ही जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि इसका संबंध संविधान में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों से है। भगवा परिवार गत कई दशकों से इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। मगर अभो तक वह यह नहीं बता पाया कि वह समान नागरिक संहिता की आड़ में क्या करना चाहता है। सवाल यह है कि क्या देश की जनता इसे स्वीकार करेगी?

**हमारा समाज** (28 मार्च) ने अपने संपादकीय में कहा है कि भाजपा जानबूझकर इस विवाद को पुनर्जीवित कर रहा है। भारतीय संविधान में हालांकि समान नागरिक संहिता लागू करने का उल्लेख किया गया है मगर क्या इसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे शरीयत के कानून होने के बावजूद लागू किया जा सकता है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य मुस्लिम संगठनों का यह तर्क सही है कि इस तरह के किसी भी प्रयास से देश की एकता को चोट पहुंचेगी। इसलिए इस देश के प्रत्येक नागरिक को संयुक्त रूप से इसका विरोध करना चाहिए। जरूरत इस बात की है कि भाजपा के नेता इस देश की जनता को विवादों में उलझाने की बजाय बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी के मुद्दों को हल करने पर ध्यान दें।

**टिप्पणी :** इस देश में सिर्फ गोवा एक मात्र ऐसा राज्य है जहां पर पुर्तगालियों के शासन के दौरान 1867 से समान नागरिक संहिता लागू है। भाजपा बार-बार समान नागरिक संहिता को लागू करने की मांग करती आ रही है। हालांकि उसे लागू करना बेहद कठिन है। अभी तक प्रत्येक धर्म का अपना-अपना कानून है, जिसके अनुसार शादी, तलाक आदि मुद्दों पर निर्णय होते हैं। हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग, ईसाइयों और पारसियों के लिए अलग-अलग कानून हैं। 1989 के आम चुनाव में पहली बार भाजपा ने समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठाया था और उसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया था। इसके बाद भाजपा 2014 और 2019 के चुनावी घोषणापत्रों में भी इसे शामिल करती रही है। समान नागरिक संहिता लागू करने पर सर्वोच्च न्यायालय से लेकर विभिन्न उच्च न्यायालय भी सरकार से सवाल कर चुकी हैं।

2019 में इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि समान नागरिक संहिता को लागू करने क लिए अभी तक कोइ कोशिश क्यों नहीं को गई है? पिछले वर्ष जुलाई महीने में भी दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार से पूछा था कि अभी तक इसे लागू क्यों नहीं किया गया है? इस समय देश में मुसलमानों, ईसाईयों और पारसियों के लिए अलग-अलग पर्सनल लॉ हैं। जबकि जैन, बौद्ध और सिखों पर हिंदू सिविल लॉ ही लागू होता है। विश्व के अनेक मुस्लिम देशों में समान नागरिक संहिता लागू है। इनमें तुर्की, सूडान, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांगलादेश, मिस्र और पाकिस्तान शामिल हैं। समान नागरिक संहिता को लागू करने का मुद्दा विधि आयोग के पास विचाराधीन था मगर पुराने विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को ही समाप्त हो गया था। अभी इस मामले को केंद्र सरकार ने नवगठित विधि आयोग के पास नहीं भेजा है। गौरतलब है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विधि आयोग के पास डेढ़ करोड़ लोगों क हस्ताक्षर का एक ज्ञापन भेजा था, जिसमें समान नागरिक संहिता को लागू करने का विरोध किया गया था।

विश्व

# अफगानिस्तान में कर्मचारियों के लिए दाढ़ी और नमाज अनिवार्य

**इंकलाब** (30 मार्च) के अनुसार अफगानिस्तान सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों को यह निर्देश दिया है कि वे दाढ़ी रखें और नमाज पढ़ें एवं विदेशी वेशभूषा को न अपनाएं वरना उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। समाचारपत्र 'डॉन' में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार अफगानिस्तान की तब्लीगी जमात और इस्लाम को लागू करने वाले विभाग की ओर से यह घोषणा की गई है कि इन विभागों के प्रतिनिधि सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों का औचक निरीक्षण करेंगे ताकि वे इस बात की जांच कर सकें कि क्या अफगान सरकार के कर्मचारी तालिबान सरकार क निर्देशों का पालन कर रहे हैं या नहीं? सभो कर्मचारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे अफगानी सलवार-कमीज, टोपी या पगड़ी पहनें और वे दिन में पांच बार नमाज अदा करें। अगर वे सरकारी निर्देशों का पालन नहीं करत हैं तो उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। सरकार ने महिलाओं के अकेले सफर करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अतिरिक्त छात्राओं के लिए सेकेंडरी स्कूलों के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। अफगानिस्तान के किसी भी पार्क में पुरुष और महिलाएं एक साथ नहीं जा सकते। उन्हें अलग-अलग पार्क में जाना होगा। यहां तक कि विवाहित जोड़ों और परिवारजनां को भी एक साथ बागों और पार्कों में जाने की अनुमति नहीं है। जब कुछ पत्रकारों ने तालिबान सरकार के इस्लामिक विभाग से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगने का अनुरोध किया तो उन्होंने इस संदर्भ में कोई भी जवाब देने से साफ इंकार कर दिया।

तालिबान का कहना ह कि वे इस्लामिक शरिया और अफगान रीति-रिवाजों का सख्ती से पालन करेंगे। इससे पहले अफगान सरकार ने यह घोषणा की थी कि छात्राओं के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं। मगर अचानक सरकार ने छात्राओं के स्कूल खोलने से इंकार कर दिया है और कहा है

कि यह इस्लामिक शरा के खिलाफ है। अफगान सरकार के इस फैसले की अमेरिका ने निंदा की है और कहा है कि इस संदर्भ में अफगान सरकार ने जो आश्वासन दिए थे यह उसका खुला उल्लंघन है। इसलिए अफगानिस्तान को आर्थिक सहायता देने के बारे में दोहा में जो वार्ता चल रही थी उसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। नोबल पुरस्कार विजेता मलाला युसूफजई ने कहा है कि अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों और लड़कियों की शिक्षा पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने दोहा में कहा कि अफगानिस्तान में स्थिति गंभीर है और लोगों को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मानवीय आधारों पर अफगानिस्तान को सहायता दी जानी चाहिए, मगर अफगान सरकार महिलाओं के अधिकारों का जिस तरह से हनन कर रही है उसको देखते हुए विश्व को सख्त कदम उठाना चाहिए।

एक अन्य समाचार के अनुसार अफगान सरकार ने देश भर में विदेशी प्रसारणों को देखने व सुनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह प्रतिबंध बीबीसी, वॉयस ऑफ अमेरिका और जर्मन रेडियो के फारसी, दरई और पश्तो भाषा के कार्यक्रमों को सुनने पर लगाया गया है। तालिबान सरकार ने निर्देश दिया है कि अफगानिस्तान में कोई भी व्यक्ति इन विदेशी प्रसारणों को न सुने। बीबीसी के अनुसार अफगान सरकार ने पश्तो, फारसी और उज्बेक भाषा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों को प्रसारित न करने का निर्देश दिया है। अफगान सरकार के सांस्कृतिक विभाग का कहना है कि इन विदेशी प्रसारणों द्वारा जो कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं वे अफगानी सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ हैं।

**इत्तेमाद** (26 मार्च) ने अपने संपादकीय में अफगानिस्तान में छात्राओं की शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने की निंदा की है और कहा है कि लड़कियों के हाईस्कूल खुलने के कुछ घंटे बाद ही वहां की सरकार ने उसे बंद कर दिए। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ ने अफगान सरकार को चेतावनी दी है कि अगर वे छात्राओं की शिक्षा पर प्रतिबंध लगाएंगे तो उन्हें विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त करने और आर्थिक सहायता पाने में कठिनाई होगी।

समाचारपत्र का कहना है कि अब छठी कक्षा के बाद कोई भी लड़की अफगानिस्तान में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगी। इससे पूर्व अफगान सरकार महिलाओं के नौकरी करने और उनकी यात्रा करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा चुकी है। तालिबान सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि हालांकि उनकी सरकार को लड़कियों को शिक्षा देने में कोई आपत्ति नहीं है, मगर उनकी यूनिफॉर्म क्या हो इसके बारे में विवाद है। प्रवक्ता ने कहा कि अफगान सरकार लड़कियों और लड़कों की सह शिक्षा के खिलाफ है क्योंकि यह इस्लामिक शरा की मूल भावना का उल्लंघन है। इसलिए हमारी यह कोशिश है कि छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग-अलग शिक्षा की व्यवस्था की जाए, मगर उसके लिए भारी संख्या में अध्यापकों की जरूरत है और देश में अध्यापकों का अभाव है।

## इस्लामोफोबिया के विरोध में अंतरराष्ट्रीय दिवस

**रोजनामा सहारा** (17 मार्च) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मुस्लिम देशों द्वारा 'इस्लामोफोबिया दिवस' मनाने की मांग को स्वीकार कर लिया है। यह प्रस्ताव इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) की ओर से पाकिस्तान ने पश किया था। जबकि भारत ने इसका विरोध किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने भाषण देते हुए यह शिकायत की कि प्रस्ताव में हिंदू फोबिया और अन्य धर्मों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान

का कोई उल्लेख नहीं किया गया। यह प्रस्ताव ओआईसी के 57 देशों के साथ-साथ रूस, चीन एवं अन्य आठ देशों के समर्थन से पेश किया गया था। प्रस्ताव में धर्म या आस्था के आधार पर हर तरह की हिंसा, उपासना स्थलों, मजारों और इस्लाम के अन्य धार्मिक स्थलों के विरोध की निंदा की गई और कहा गया कि यह अंतरराष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है। हालांकि यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। लेकिन भारत, फ्रांस और यूरोपीय यूनियन की ओर से कहा गया कि दुनिया भर में विभिन्न धर्मों के प्रति नफरत फैलाई जा रही है, मगर इस प्रस्ताव में सिर्फ इस्लाम को ही पेश किया गया है। जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के स्थाई प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने कहा कि इस्लामोफोबिया एक वास्तविकता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 देशों ने यह स्वीकार किया है कि इसको रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। इस्लाम विरोधी अभियान के तहत मुसलमानों के खिलाफ घृणात्मक भाषणों और उनके प्रति भेदभावपूर्ण नीति के साथ-साथ मुसलमानों के खिलाफ अपराधों का अभियान तेजी से बढ़ रहा है। यह मानवता के मूल अधिकारों के खिलाफ है। इस अभियान के कारण इस्लामिक जगत में गहरा असंतोष है।

मुनीर अकरम ने कहा कि अमेरिका में 9/11 के हमले के बाद विश्व भर में मुसलमानों को निशाना बनाया गया। उनके खिलाफ भय और अविश्वास का वातावरण बनाया गया और उन्हें हिंसा के लिए दोषी ठहराया जा रहा है। इस्लाम के खिलाफ जिस तरह से भावना भड़काई जा रही है वह बेहद खतरनाक है और उसका लक्ष्य मुसलमानों को समाज से अलग-थलग करना है। मुसलमानों के खिलाफ ऑफलाइन और ऑनलाइन जो अभियान चलाया जा रहा है वह बेहद खतरनाक है।

भारतीय प्रतिनिधि ने इस बात पर हैरानी प्रकट की कि एक विशेष धर्म के खिलाफ भय की भावना को भड़काया जा रहा है और अब नौबत यहां तक आ गई है कि इसके लिए विश्व भर में विरोध दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई देशों में हिंदुओं, बौद्ध और सिखों के खिलाफ भी भावनाएं भड़काई जा रही हैं। इसलिए यह जरूरी है कि सभी धर्मों के खिलाफ फैलाई जा रही नफरत की भावना को रोकने का प्रयास किया जाए।

**सियासत** (17 मार्च) के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस्लाम विरोधी अभियान के खिलाफ विश्व दिवस मनाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है ओर कहा है कि इस्लाम के खिलाफ नफरत की भावना को भड़काने के बारे में आखिर दुनिया ने हमारी आवाज सुनी है।

**हमारा समाज** (21 मार्च) में एक लेख प्रकाशित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि एक ओर तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस्लाम के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के खिलाफ जनमत को जागृत करने के लिए विशेष दिवस मनाने की घोषणा की है। जबकि दूसरी ओर हमारे देश में 'कश्मीर फाइल्स' की आड़ लेकर एक

विशेष धर्म के माननेवालों के खिलाफ भावना भड़काई जा रही है और इसके पीछे भारत सरकार का हाथ है। हालांकि कश्मीर में हिंदुओं के अतिरिक्त काफी संख्या मं मुस्लिम युवक भी मारे गए थे। मगर इस फिल्म की आड़ में जानबूझकर मुसलमानों के खिलाफ देश भर में एक भावना भड़काई जा रही है। उन्होंने देश वासियों से अपील की है कि है कि वे इस सांप्रदायिक प्रचार का पर्दाफाश करें ताकि एक विशेष धर्म के मानने वालों का निशाना बनाने के अभियान को रोका जा सके। लेख में कहा गया है कि मुस्लिम संगठनों के साथ-साथ चीन, रूस और जापान जैसे गैर मुस्लिम देशों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है।

**इत्तेमाद** (21 मार्च) ने महमूद अब्दाली का एक लेख प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया ह कि इस्लामोफोबिया का अर्थ इस्लाम के बारे में जनसाधारण में भय और खौफ का वातावरण पैदा करना है। हालांकि हकीकत यह है कि दुनिया के एक बड़े हिस्से में मुसलमानों को अपना धार्मिक लिबास पहनने तक की अनुमति नहीं है। हैरानी की बात यह है कि मुसलमान स्वयं भेदभाव का शिकार हो रहे हैं और उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। मगर इसके बावजूद उनके खिलाफ दुनिया भर में शैतानी प्रोपगंडा जारी है, जिसके अनुसार प्रत्येक मुसलमान चलता-फिरता बम है। इसी भावना के तहत 15 मार्च, 2019 को न्यूजीलैंड के एक शहर में एक ईसाई व्यक्ति वहां की जामा मस्जिद में घुसा और उसने अंधाधुंध गोलियां चलाकर 47 नमाजियों को मार दिया। इसके बाद उसने इस्लामिक सेंटर पर भी कई लोगों को अपनी गोलियों का निशाना बनाया। इस घटना के ढ़ाई महीने बाद मक्का में ओआईसी का अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें इस घटना की निंदा की गई और उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, मलेशिया के महातिर मोहम्मद और तुर्की के राष्टपति तैयब एर्दोगान ने मुसलमानों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की निंदा की और संयुक्त राष्ट्र संघ से यह मांग की कि मुसलमानों के संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर कोई कानून बनाया जाए।

लेखक ने इस बात पर हैरानी प्रकट की है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के प्रतिनिधि ने इस प्रस्ताव का समर्थन करने की बजाय उसमें संशोधन की मांग की। इससे निश्चित रूप से इस्लामिक जगत में भारत की छवि को गहरा धक्का लगा है। दुनिया भर के मुसलमानों को इस बात की हैरानी है कि एक देश जहां करोड़ों मुसलमान बसते हों वह एक ऐसे प्रस्ताव का विरोध कर रहा है जिसका लक्ष्य मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और नफरत को रोकना है। खुशी की बात यह है कि भारत के एक बड़े वर्ग न संयुक्त राष्ट्र संघ में इस भारतीय प्रतिनिधि के रवैए की निंदा की है।

**सालार** (18 मार्च) के संपादकीय में इस बात की निंदा की गई है कि भारत सहित अनेक पश्चिमी देश मुसलमानों के खिलाफ नफरत की भावना को भड़का रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सहित फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के शासकों ने मुसलमानों और इस्लाम का विरोध करके अपनी राजनीति की दुकान को चमकाया है, जिसके कारण पूरी दुनिया इस्लाम और मुसलमान विरोधी नजर आने लगी है। हर कोई मुसलमानों को शक की नजर से देखता है और इस्लाम विरोधी अभियान पूर जोरों से चल रहा है। ऐसे मौके पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने समझदारी से काम लिया है और हर वर्ष 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए दुनिया भर में एक विशेष दिवस मनाने का फैसला किया है। समाचारपत्र का कहना है कि इस्लाम के खिलाफ चल रहे अभियान को रोकने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की भूमिका प्रशंसनीय है।

# ईरान और पाकिस्तान द्वारा आपसी व्यापारिक संबंधों में वृद्धि पर जोर

**अवधनामा** (31 मार्च) के अनुसार ईरान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने तेहरान में हुई एक बैठक में चीन में आयोजित अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे इस क्षेत्र में व्यापारिक संबंधों के बीच नए युग की शुरूआत हागी। इस बैठक में यह भी निर्णय किया गया कि ईरान और पाकिस्तान के बीच व्यापारिक संबंधों में वृद्धि की जाए। ईरान के विदेश मंत्रालय ने ईरान और चीन द्वारा अफगान जनता के समर्थन पर जोर दिया है और कहा है कि विश्व के देशों को अफगानिस्तान की समस्याओं पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त यह भी जरूरी है कि अफगानिस्तान क आर्थिक संकट के समाधान के लिए इस क्षेत्र के देश एकजुट होकर प्रयास करें। शीघ्र ही चीन में इन देशों का तीसरा सम्मेलन होने वाला है, जिसमें चीन के अतिरिक्त ईरान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, कतर और इंडोनेशिया भाग लेंगे।

# पाकिस्तान में ओआईसी का सम्मेलन

**सियासत** (23 मार्च) के अनुसार 57 मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन पाकिस्तान में हुआ, जिसमें चीन के विदेश मंत्री विशेष रूप से शामिल हुए। इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) के इतिहास में यह पहला अवसर है जब चीन ने उसमें भाग लिया हो। इस सम्मेलन में कश्मीर की हुर्रियत कांफ्रेंस के प्रतिनिधियों को भी भाग लेने का आमंत्रण दिया गया था लेकिन मोदी सरकार ने उन्हें वीजा जारी नहीं किया। ओआईसी ने भारत सरकार के इस रवैये की निंदा की है। अब अगले एक वर्ष तक ओआईसी का सचिवालय पाकिस्तान में रहेगा। इस्लामाबाद में हुए इस

सम्मेलन में विश्व भर के मुस्लिम देशों और विशेष रूप से भारत के नियंत्रण वाले कश्मीर की समस्याओं के साथ-साथ अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, अफ्रीका, यमन, लीबिया, सूडान, सोमालिया और सीरिया की राजनीतिक स्थिति पर भी विचार किया गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस सम्मेलन का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे इस्लामिक देशों के भाईचारे में वृद्धि होगी।

**हमारा समाज** (23 मार्च) के अनुसार सम्मेलन को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि इस्लामिक देशों को चाहिए कि वे किसी ब्लॉक में शामिल न हों और युद्ध का भागीदार बनने की बजाय संयुक्त रूप से इस्लामिक एकता और भाईचारे की भावना को प्रोत्साहन दें। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की घटना के कारण तेल, गैस और गेहूं के मूल्यों में निरंतर वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि इस्लामिक देशों को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि यूक्रेन की समस्या का कोई समाधान निकल सके। उन्होंने कहा कि हालांकि मुसलमानों की संख्या दुनिया भर में डेढ़ अरब है, मगर उन्हें कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने विश्व के देशों से अनुरोध किया कि वे अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता प्रदान करें। विश्व में बढ़ते हुए आतंकवाद के लिए यह जरूरी है कि अफगानिस्तान सरकार की आर्थिक रूप से सहायता की जाए।

अधिवेशन में भाषण देते हुए सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल-सऊद ने कहा कि हम मानवीय आधार पर फिलिस्तीन की समस्या का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं। उन्होंने ईरान पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ देश यमन में सक्रिय विद्रोहियों को न सिर्फ समर्थन कर रहे हैं बल्कि उन्हें हथियार भी उपलब्ध करवा रहे हैं। यमन में हिंसा बंद होनी चाहिए। ओआईसी के महासचिव हसन ब्राहिम ताहा ने इजरायल की फिलिस्तीन विरोधी रूख की निंदा की और हूती विद्रोहियों से अनुरोध किया कि वे नागरिकों को अपन हमलों का निशाना न बनाएं। उन्होंने कहा कि सभी इस्लामिक देश रोहिंग्या मुसलमानों का समर्थन करते हैं और हम यह चाहते हैं कि रोहिंग्या मुसलमान वापस अपने देश जाएं और वहां चैन से रहें।

## श्रीलंका में आर्थिक संकट के कारण जनप्रदर्शन

**रोजनामा सहारा** (17 मार्च) के अनुसार श्रीलंका में पेट्रोल और अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्यों में हुई भारी वृद्धि के खिलाफ जनता सड़क पर उतर आई है। पूरे देश में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। इसका कारण यह है कि कागज की मूल्य में आई भारी वृद्धि के कारण सरकार पाठ्यपुस्तकों को छापने के लिए कागज उपलब्ध कराने में विफल रही है। देश के

सभी पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन में घुसकर उग्र प्रदर्शन किया। विपक्षी नेता श्रीलंका के राष्ट्रपति और सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि वे तुरंत अपने पदों से त्यागपत्र दे दें।

**इंकलाब** (23 मार्च) के अनुसार देश के सभी पेट्रोल पंपों पर सैनिक तैनात कर दिए गए हैं ताकि पेट्रोलियम भंडारों को प्रदर्शनकारी लूट न सकें। सेना और प्रदर्शनकारियों में हुई झड़पों में कम-से-कम छह लोग मारे गए हैं।

पश्चिम एशिया

# रमजान के दौरान यमन में युद्धविराम की घोषणा

**हमारा समाज** (31 मार्च) के अनुसार यमन में संवैधानिक सरकार की बहाली के लिए सक्रिय अरब गठबंधन ने रमजान के महीने में युद्धविराम की घोषणा की है ताकि शांति वार्ता शुरू की जा सके। यह घोषणा खाड़ी सहयोग परिषद के महासचिव डॉ. नायेफ फलाह अल-हजराफ ने की है। उन्होंने कहा कि अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की इच्छा के अनुसार युद्धविराम की घोषणा एक महीने के लिए की गई है ताकि शांति वार्ता के लिए माहौल बनाया जा सके। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि यमन संकट को दूर करने के लिए यह जरूरी है कि वहां की संवैधानिक सरकार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी जाए और ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों पर इस बात के लिए दबाव डाला जाए कि वे युद्ध का मार्ग छोड़कर शांति का मार्ग अपनाएं। इससे पूर्व यमन के मामलों के अमेरिकी प्रतिनिधि ने यह घोषणा की है कि अमेरिका यमन के विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का हर संभव प्रयास करेगा और गृहयुद्ध की शिकार यमनी जनता को मानवीय आधार पर खाद्य एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सऊदी अरब के मंत्रियों की परिषद ने यमन में सक्रिय हूती विद्रोहियों से अनुरोध किया है कि रमजान के पवित्र महीने को देखते हुए वे सऊदी अरब के नागरिक क्षेत्रों और वहां के महत्त्वपूर्ण ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के हमलों को बंद कर दें। सऊदी अरब ने यूक्रेन संकट का शांतिपूर्ण समाधान खोजने पर भी बल दिया है।

**इत्तेमाद** (28 मार्च) के अनुसार यमन में हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के युद्धविराम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हूतियों के राजनीतिक प्रकोष्ठ के प्रमुख महदी अल-मशात ने कहा है कि हूती विद्रोही यमन के राष्ट्रपति मंसूर हादी के भाई सहित सभी यमनी कैदियों को रिहा करने के लिए तैयार हैं। ताजा ऐलान के अनुसार यमन के तटीय नगर अल-हदा के सैनिक ठिकानों पर हमले किए गए और जेद्दा में अरामको के तेल संयंत्रों को

भी निशाना बनाया गया। हूतियों ने कहा है कि शांति वार्ता तभी सफल हो सकती है जब अरब गठबंधन उनके ठिकानों पर हवाई हमले बंद करे और बंदरगाहों पर लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त करे। अरब गठबंधन ने कहा है कि हाल ही में हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब में 16 बार हमले किए हैं, मगर हम सब्र से काम ले रहे हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि शांति वार्ता सफल हो। मगर हूतियों का रवैया सहयोगपूर्ण नहीं है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी सऊदी अरब ने युद्धविराम की घोषणा की थी, मगर हूतियों ने उसे मानने से इंकार कर दिया था।

# बुर्कापोश महिला के प्रवेश को रोकने पर बहरीन में भारतीय रेस्टोरेंट बंद

**इंकलाब** (28 मार्च) के अनुसार बहरीन में प्रशासन ने एक भारतीय रेस्टोरेंट को बंद कर दिया है। बताया जाता है कि वहां के एक प्रबंधक ने एक बुर्कापोश महिला को अपने रेस्टोरेंट में प्रवेश की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। हालांकि रेस्टोरेंट के मालिकों ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है और अपने भारतीय प्रबंधक को नौकरी से निकाल दिया है। यह व्यक्ति भारत के कर्नाटक का रहने वाला है। बहरीन पर्यटन प्राधिकरण ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। बहरीन सरकार ने सभी होटलों से यह अनुरोध किया है कि वे किसी व्यक्ति के खिलाफ भेदभावपूर्ण व्यवहार न करें। इस रेस्टोरेंट का नाम 'लैंटर्नस बहरीन' बताया जाता है। प्रबंधकों ने इंस्टाग्राम पर अरबी और अंग्रेजी में एक बयान पोस्ट किया है, जिसमें कहा गया है कि हम पिछले 35 वर्षों से बहरीन के सभी धर्मों के लोगों की बिना किसी भेदभाव के सेवा कर रहे हैं और हम इसी भावना के तहत सभी लोगों को आमंत्रण देते हैं कि वे 29 मार्च को हमारे रेस्टोरेंट में आएं और हम उन्हें मुफ्त भोजन पेश करेंगे। गौरतलब है कि कर्नाटक में उच्च न्यायालय की ओर से मुस्लिम लड़कियों के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनकर आने पर जो प्रतिबंध लगाया गया है उसके बाद वहां पर होने वाली इस घटना ने खास महत्व ले लिया है।

**मुंबई उर्दू न्यूज** (28 मार्च) के अनुसार यह हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट बहरीन के अदलिया में स्थित है। बहरीन की मीडिया के अनुसार जब एक बुर्कापोश महिला अपने परिवार सहित इस होटल में भोजन करने के लिए आई तो उसे वहां के प्रबंधक ने रेस्टोरेंट में घुसने की अनुमति नहीं दी। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद बहरीन सरकार ने दोषी रेस्टोरेंट के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया है।

# ईरान में पिछले वर्ष 280 लोगों को फांसी

**रोजनामा सहारा** (20 मार्च) के अनुसार गत वर्ष ईरान में कम-से-कम 280 लोगों को फांसी पर लटकाया गया है। यह हकीकत ईरान के लिए नियुक्त संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के विशेष प्रतिनिधि जावेद रहमान ने अपनी रिपोर्ट में बयान की है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गत वर्ष ईरान में जिन लोगों को फांसी की सजा दी गई है उनमें अधिकतर मादक पदार्थों के तस्कर हैं। मौत की सजा पाने वालों में दस महिलाएं भी शामिल थीं। उन्होंने कहा कि इन लोगों को ईरान की विभिन्न अदालतों ने फांसी की सजा सुनाई थी और उसके बाद उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। फांसी पाने वालों में कम-से-कम चार किशोर भी शामिल हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष से भी कम थी। फांसी पाने वालों में चार अफगान भी शामिल हैं। जिन लोगों को फांसी की सजा दी गई है उनमें 40 बलूच और 50 कुर्द भी शामिल हैं। इस रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि हाल ही में ईरान में फांसी की सजा पाने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में इस बात का भी आरोप लगाया गया है कि आरोपियों से उनके जुर्म को स्वीकार करने के लिए उन पर हिंसा की गई और उन्हें प्रताड़ित भी किया गया।

# इजरायल पर साइबर हमला

**मुंबई उर्दू न्यूज** (16 मार्च) के अनुसार इजरायल के इतिहास में पहली बार सबसे बड़ा साइबर हमला हुआ है, जिसके पीछे ईरान का हाथ होने का संदेह व्यक्त किया जा रहा है। सरकारी सूत्रों के अनुसार इजरायल में कई सरकारी वेबसाइट क्रैश हो गई हैं, जिनमें प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय का कार्यालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और न्याय मंत्रालय की वेबसाइटें शामिल हैं। इजरायल के प्रमुख समाचारपत्र 'हारेट्ज' ने इस संदर्भ में एक समाचार प्रकाशित करते हुए इसे इजरायल के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा साइबर हमला करार दिया है।

दूसरी ओर इजरायल क राष्ट्रीय साइबर निदेशालय ने एक बयान में कहा है कि ये वेबसाइटें अब दोबारा शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि यह हमला डीडीओएस था। इसके द्वारा सरकारी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया था। रक्षा मंत्रालय ने इजरायल में इस घटना के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी है और इस बात की भी जांच की जा रही है कि महत्त्वपूर्ण इजरायली वेबसाइट, इजरायल की बिजली और पानी सप्लाई करने वाली कंपनियों के आधारभूत संरचना पर भी हमला किया गया है। इजरायल के संचार मंत्री ने इस हमले के बाद एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाइ है, जिसमें सभी दूरसंचार कंपनियों

को यह निर्देश दिया गया है कि युद्धस्तर पर इन वेबसाइटों को बहाल करने के लिए काम किया जाए।

इजरायल सरकार ने स्वीकार किया है कि इस हमले के कारण कई घंटे सरकारी वेबसाइटें बंद रही हैं। इजरायली राष्ट्रीय साइबर निदेशालय के अनुसार इन सारी घटनाओं की उच्चस्तरीय जांच की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसे हमलों को रोका जा सके। न्यूज एजेंसी 'एएफपी' के अनुसार 'नेटब्लॉक्स' संस्था जो कि दुनिया भर के इंटरनेट ट्रैफिक की निगरानी करती है के अनुसार हाल के महीनों में कई बार इजरायली वेबसाइट साइबर हमलों का निशाना बने हैं। इजरायली विशेषज्ञों के अनुसार इन हमलों के पीछे ईरान का हाथ बताया जाता है। जबकि ईरान ने यह दावा किया है कि उसकी वेबसाइट को अमेरिका और इजरायल ने अपना निशाना बनाया था, जिससे पेट्रोल और गैस सप्लाई की व्यवस्था चौपट हो गई थी।

# हूतियों के हमले से सऊदी सप्लाई लाइन ठप

**अवधनामा** (27 मार्च) के अनुसार जेद्दा में अरामको के तेल संयंत्र हूती हमलों के कारण पूर्ण रूप स जल गए हैं और इसके कारण सऊदी अरब की तेल की सप्लाई लाईन ठप हो गई है। सऊदी अरब के तेल सप्लाई करने वाले संयंत्रों में भीषण आग लगी हुई है। इसके कारण विश्व बाजार में तेल के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है। कच्चे तेल का मूल्य 120 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया है। यमन में सऊदी अरब और हूतियों के बीच युद्ध के कारण 40 लाख स ज्यादा यमनी बेघर हो चुके हैं और कम-स-कम पांच लाख लोग मारे गए हैं। हूती सूत्रों के अनुसार सऊदी अरब के हमलों के कारण यमन की अधिकांश अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है और खाद्यान्न और दवाईयों की भारी कमी है। यमन ऑपरेशन के प्रवक्ता ने कहा है कि सऊदो अरब की आर्थिक रूप से कमर तोड़ने के लिए ही उसकी कम-से-कम तीन तेल रिफाइनरी को पूर्ण रूप से तबाह कर दिया गया है। सऊदी अरब की बिजली सप्लाई व्यवस्था ठप हो गई है।

इसी अंक के संपादकीय में ईरान द्वारा शांति प्रयासों की सराहना की गई है और कहा गया है कि यमन में जो गृह युद्ध चल रहा है उसका कोई शांतिपूर्ण समाधान तलाश किया जाना चाहिए। हूती सऊदी अरब की तेल पर आधारित अर्थव्यवस्था को तबाह करने का प्रयास कर रहे हैं। यमन के गृहयुद्ध के कारण विश्व की शांति खतरे में पड़ सकती है। हाल ही में ईरान ने इस दिशा में शांति स्थापना के जो प्रयास शुरू किए हैं उनका अरब जगत को समर्थन करना चाहिए।

अन्य

# अरब देशों में चीन द्वारा पैर पसारने का अभियान

**रोजनामा सहारा** (27 मार्च) के अनुसार चीन इस्लामिक जगत में बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। इस लक्ष्य से चीन खाड़ी सहयोग परिषद से मुफ्त व्यापार समझौते के संबंध में वार्ता कर रहा है। जबकि सऊदी अरब से भी चीन ने अपनी करेंसी में पेट्रोल खरीदने का समझौता किया है। ये वह बातें हैं, जिसका संकेत चीन का सरकारी मीडिया 'ग्लोबल टाइम्स' ने इस्लामाबाद में हाल में हुई इस्लामिक देशों के सहयोग संगठन की बैठक में किया है। अगर चीन की योजना सफल रहती है तो इसके कारण निश्चित रूप से अमेरिका और पश्चिमी देशों को गहरा झटका लगेगा।

अमेरिकी विदेश नीति परिषद के उपाध्यक्ष इलान बर्मन ने कहा है कि इस्लामिक जगत से चीन की बढ़ती दोस्ती एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक परिवर्तन है। मध्य पूर्व में अमेरिका की रुचि धीरे-धीरे कम हो रही है। इसका सारा ध्यान ईरान पर केंद्रित है जो सऊदी अरब का प्रतिद्वंद्वी है। इसलिए बदलत हुए हालात को देखते हुए सऊदी अरब ने भी अपना नया सहयोगी तलाश करना शुरू कर दिया है। चीन ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात क साथ सैन्य विमान सप्लाई करने का जो समझौता किया है वह इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। चीन की नीति धीरे-धीरे अरब देशों में अपने पैर पसारने की है। वह इन देशों में उपलब्ध तेल के भंडारों का अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है।

# सऊदी अरब में मस्जिदों में चंदा इकट्ठा करने पर प्रतिबंध

**मुंबई उर्दू न्यूज** (25 मार्च) के अनुसार सऊदी सरकार ने यह निर्देश दिया है कि मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए लाउडस्पीकरों का इस्तमाल न किया जाए। इसके अतिरिक्त सऊदी सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि नमाज पढ़ते समय नमाजियों की तस्वीर न खींची जाए और न ही वे मस्जिदों में चंदा इकट्ठा करें। सभी मस्जिदों के इमामां को यह निर्देश दिया गया है कि वे रोजादारों के इफ्तार के लिए धनराशि इकट्ठी न करें। रमजान के महीने के दौरान वे नियमित रूप से मस्जिदों में जाएं और नमाजों का आयोजन करें।

# टीपू सुल्तान से संबंधित उल्लेख पाठ्यपुस्तकों से हटाने का फैसला

**सियासत** (26 मार्च) के अनुसार कर्नाटक सरकार द्वारा गठित रोहित चक्रतीर्थ के नेतृत्व वाली पाठ्यपुस्तक संशोधन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को पेश कर दी है। बताया जाता है कि इस रिपोर्ट में पाठ्यपुस्तकों में काफी परिवर्तन करने का सुझाव दिया गया है। इन सिफारिशों में कर्नाटक के स्कूलों की पाठ्यपुस्तकों से टीपू सुल्तान के कारनामों को भी हटाने का सुझाव दिया गया है। इसके अतिरिक्त इस बात का भी सुझाव दिया गया है कि पाठ्यपुस्तकों मं असम के अहोम वंश द्वारा बख्तियार खिलजी की पराजय से संबंधित पाठ भी शामिल किए जाएं। इस कमेटी का गठन 2017 में किया गया था। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बी.सी. नागेश ने यह स्वीकार किया है कि इस कमेटी की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है और उसकी सिफारिशों को देखते हुए पाठ्यपुस्तकों में जरूरी संशोधन करने पर विचार किया जाएगा।

# पैगम्बर पर एक पुस्तक का विमोचन

**मुंबई उर्दू न्यूज** (28 मार्च) के अनुसार वसीम रिजवी ने हजरत मोहम्मद के बारे में जो विवादित पुस्तक प्रकाशित की है उसके जवाब में अजमेर शरीफ दरगाह की ओर से एक पुस्तक का विमोचन किया गया है, जिसका शीर्षक है 'अज़ीम मोहम्मद'। इस पुस्तक में वसीम रिजवी की पुस्तक का जवाब दिया गया है। इस पुस्तक के लेखक मौलाना इब्राहिम आसो और प्रकाशक तहफ्फुज-ए-नामूस रिसालत बोर्ड के अध्यक्ष मोईन मियां अशरफी और सैयद नूरी हैं। इस अवसर पर इस पुस्तक के लेखक को 'कायद-ए-मिल्लत' पुरस्कार भी दिया गया है।

# महाराष्ट्र के बजट में मुसलमानों के लिए अलग व्यवस्था की मांग

**औरंगाबाद टाइम्स** (17 मार्च) के अनुसार महाराष्ट्र विधान सभा में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने बहस में भाग लेते हुए आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र सरकार के वार्षिक बजट में मुसलमानों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने यह मांग की कि मुंबई के इस्माइल युसूफ कॉलेज को महाराष्ट्र के मुसलमानों के हवाले किया जाए और मुसलमानों को पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए हर मंत्रालय क बजट में अलग से आर्थिक व्यवस्था होती है वैसा ही मुसलमानों के लिए भी अलग बजट की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मौलाना आजाद वित्तीय काउंसिल का गठन किया जाए ताकि उसके माध्यम से मुसलमानों को स्वरोजगार प्रारंभ करने के लिए ब्याज मुक्त कर्ज मिल सके।

RNI No. DELHIN/2017/72722

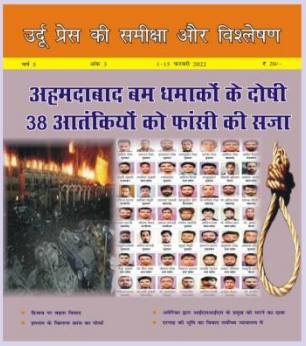


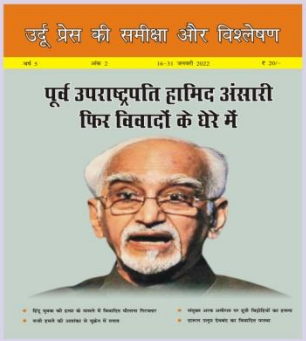


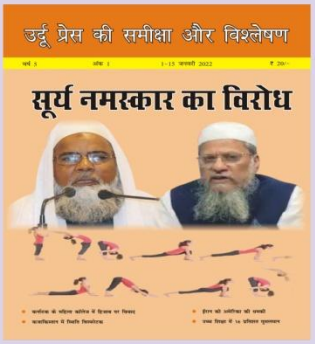

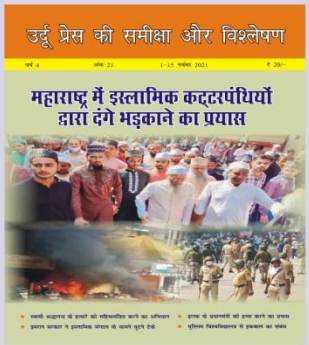


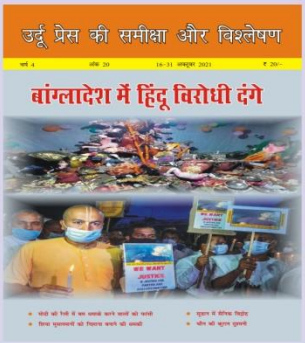



भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018 • फैक्स : 011-46089365
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in